राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 11] चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पहला दिवस [संख्या: 01

बुधवार,

05 सितम्बर 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, सबका स्वागत। राम-राम साहब, राम-राम साहब।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

अनुपस्थिति अनुमति

मानिक चन्द सुराना, श्री, सदस्य को 5 सितम्बर, 2018 से सत्रांत तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 5 सितम्बर, 2018 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

2] अनुपस्थिति अनुमति-5 सितम्बर 2018-सदन पटल पर रखे गये पत्र

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, गौरव यात्रा के दौरान...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आप बैठिए। माननीय विधायक, बैठिए। (व्यवधान)

सचिव विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का....

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यात्रा निकाल रहे हो, लोग...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय, व्यवधान उत्पन्न करना इनका काम।

श्री अध्यक्ष: बेनीवाल साहब, स्थान ग्रहण करें। मैं आपको नाम से.. यह पहला दिन है। मैं नहीं चाहता कि कोई एक्शन लेना पड़े। आप कृपया शान्त रहिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज के अवसर पर, इस प्रकार से ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनकी बातों को अंकित नहीं किया जाए।

श्री अध्यक्ष: सचिव, आपने रख दिया? बोलिए।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

सचिव, विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-

(श्री सचिव)

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान भूमि पूलिंग स्कीम विधेयक, 2016

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2018
2. राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018
3. राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018
4. राजस्थान वित्त विधेयक, 2018
5. राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018
6. राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018
7. राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
8. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018
9. श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018
10. राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2018
11. राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018

श्री अध्यक्ष: अध्यादेश। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

अध्यादेश

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018

(1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-2); एवं

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2018

(2) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-3)।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): गलत, अध्यादेश रखना है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अच्छा, अध्यादेश।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजेन्द्र जी, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग।

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्या 4) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-5) सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रतिवेदन। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन एवं

भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय)

2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय)।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2018-19 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2018-19 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2018-19 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। श्री राजपाल सिंह।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री राजपाल सिंह शेखावत।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कारण भी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक 2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री राजपाल सिंह शेखावत।

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री गुलाबचन्द कटारिया।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कारण भी बता दीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक -1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधयक, 2018, श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018, श्री श्रीचन्द कृपलानी।

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63 (1) के अन्तर्गत जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री कालीचरण सराफ।

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनाज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करती हूं।

मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री गजेन्द्र सिंह।

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री गजेन्द्र सिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री गजेन्द्र सिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री बलराम जी दास टण्डन, हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह, तमिलनाडु के पूर्व मुख्य मंत्री डा. एम. करुणानिधि, मणिपुर के पूर्व मुख्य मंत्री श्री आर. के. दोरेन्द्र सिंह, पूर्व सांसद राजमाता कृष्णा कुमारी, इस विधान सभा के सदस्य श्री धर्मपाल चौधरी तथा पूर्व सदस्य सर्वश्री टीकमचन्द कान्त, रामकिशन वर्मा, बनवारी लाल भिण्डा, प्रेमसिंह दहिया, जगन सिंह, छीतरलाल आर्य, शंकर लाल जाट, हरिसिंह, रामचन्द्र, सुरेन्द्र सिंह एवं लक्ष्मण प्रसाद पटेल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अटल बिहारी वाजपेयी, श्री, पूर्व प्रधान मंत्री

पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसम्बर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। आपने राजनीति विज्ञान में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1957 में पहली बार लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। जननायक श्री वाजपेयी 10 बार लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी तथा ओजपूर्ण एवं विशिष्ट भाषण शैली के लिये प्रख्यात श्री वाजपेयी जब सदन में बोलते थे तो सम्पूर्ण सदन उनको बड़ी तन्मयता से सुनता था। अजातशत्रु कहे जाने वाले सहृदयी श्री वाजपेयी दलगत राजनीति से सदैव ऊपर रहे। प्रतिपक्षी दलों के नेता भी उनका सम्मान करते थे। अपने दीर्घ संसदीय जीवन में आप दो बार राज्यसभा के सदस्य, लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष तथा अनेक संसदीय समितियों के सदस्य एवं सभापति रहे।

श्री वाजपेयी तीन बार भारत के प्रधान मंत्री रहे। आपके कार्यकाल के दौरान आर्थिक क्षेत्र में सुधार के साथ ही परिपक्व विदेश नीति के कारण पडौसी देशों के साथ पारस्परिक संबंध नई ऊंचाइयों पर थे। श्री वाजपेयी उन

(श्री अध्यक्ष)

चुनिंदा प्रधान मंत्रियों में से थे जो अपने साहसिक निर्णयों के लिये जाने जाते थे। पोकरण में किया गया परमाणु परीक्षण ऐसे ही दूरगामी निर्णयों में से एक था। केन्द्रीय विदेश मंत्री के रूप में आपने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिन्दी में भाषण देकर हिन्दी भाषा को गौरवान्वित किया। आपने विभिन्न देशों में आयोजित अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री वाजपेयी का काव्य प्रेम सर्वविदित है। कवि हृदय श्री वाजपेयी द्वारा रचित जीवन दर्शन से परिपूर्ण कविताएं युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिये प्रेरित करती हैं। आपके आलेख तथा कविताएं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। 'हार नहीं मानूंगा रार नयी ठानूंगा' तथा 'मौत से ठन गई' जैसी कविताएं जीवन के यथार्थ को परिलक्षित करती हैं। श्री वाजपेयी की अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। आपने 'राष्ट्रधर्म' तथा 'पांचजन्य' पत्रिकाओं का संपादन भी किया।

वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे श्री वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष भी रहे। लोक सभा में आप अपने संसदीय दल के नेता भी रहे।

श्री वाजपेयी को विभिन्न क्षेत्रों में किये गये उनके अतुलनीय योगदान के लिये 'पद्म विभूषण', 'श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार' सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए। राजनीति के क्षितिज पर एक दैदीप्यमान नक्षत्र की भांति चमकने वाले श्री वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिनांक 16 अगस्त, 2018 को निधन हो गया। श्री वाजपेयी के निधन से देश की राजनीति में अपूरणीय क्षति हुई है।

सोमनाथ चटर्जी, श्री, पूर्व अध्यक्ष, लोक सभा

लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी का जन्म 25 जुलाई, 1929 को असम के तेजपुर में हुआ। आपने इंग्लैण्ड से एम.ए. तथा बैरिस्टर-एट-लॉ की उपाधियां प्राप्त कीं। स्नेह और सम्मान से सभी आपको 'सोमनाथ दा' कहकर संबोधित करते थे।

सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री सोमनाथ चटर्जी पांचवीं से चौदहवीं लोक सभा तक लगातार दस बार सांसद निर्वाचित हुए। लोक सभा में

(श्री अध्यक्ष)

आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता भी रहे। सुदीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री चटर्जी चौदहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान 4 जून, 2004 को सर्वसम्मति से लोक सभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। लोक सभा के इतिहास में श्री चटर्जी पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो प्रोटेम स्पीकर के पद पर रहते हुए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपके द्वारा दिये गये निर्णयों से संसदीय परम्पराएं और अधिक दृढ़ हुईं।

संसदीय नवाचार के समर्थक रहे श्री चटर्जी के कार्यकाल में दिनांक 5 जुलाई, 2004 को पहली बार 'शून्यकाल' का टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया। तत्पश्चात् 24 जुलाई, 2006 से लोक सभा का 24 घंटे प्रसारित होने वाला चैनल आरम्भ हुआ। संसद की कार्यवाही में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिये आपको 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसदीय प्रक्रियाओं तथा परम्पराओं के पोषक श्री चटर्जी ने राजस्थान सहित अनेक राज्य विधान मण्डलों में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रमों में नव-निर्वाचित सदस्यों का मार्गदर्शन किया।

अनेक संसदीय समितियों के सदस्य एवं सभापति रहे श्री चटर्जी ने विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डलों का नेतृत्व किया। आपको वर्ष 2005 में फिलिपींस की संसद द्वारा 'कांग्रेसनल मैडल आफ एचीवमेन्ट्स' से सम्मानित किया गया। अधिवक्ता रहे श्री चटर्जी अनेक विधि संगठनों से संबद्ध रहे। आप अनेक सामाजिक, शैक्षिक एवं श्रमिक संगठनों से भी संबद्ध रहे। संसदीय विषयों पर प्रकाशित आपके आलेख जन-प्रतिनिधियों को दिशा दिखाते रहे। समाज सेवा के लिये सदैव तत्पर रहने वाले श्री चटर्जी ने अपनी देह भी समाज कल्याण के लिये अस्पताल को दान कर दी।

श्री सोमनाथ चटर्जी का दिनांक 13 अगस्त, 2018 को निधन हो गया।

बलरामजी दास टण्डन, श्री, राज्यपाल, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री बलरामजी दास टण्डन का जन्म पंजाब के अमृतसर में 1 नवम्बर, 1927 को हुआ। आपने पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर (पाकिस्तान) से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री बलरामजी दास टण्डन पंजाब विधान सभा में छह बार विधायक निर्वाचित हुए। इस दौरान आपने सदन की विभिन्न समितियों में अपना

(श्री अध्यक्ष)

योगदान दिया। आप पंजाब सरकार में उद्योग, स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगार विभागों के मंत्री भी रहे। आप 18 जुलाई, 2014 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1953 में अमृतसर नगरपालिका के प्रथम निर्वाचित कॉरपोरेटर बने। आपने विभाजन के समय भारत आये शरणार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री टण्डन ने पंजाब में आतंकवाद से निपटने के लिये लोगों को प्रोत्साहित किया। आप शांति की स्थापना हेतु सदैव प्रयासरत रहे। गरीबों तथा असहायों की सेवा के लिये समर्पित रहे श्री टण्डन अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध रहे। आपने आपातकाल के दौरान जेल यात्रा भी की।

श्री बलरामजी दास टण्डन का दिनांक 14 अगस्त, 2018 को निधन हो गया।

उर्मिला सिंह, श्रीमती, पूर्व राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह का जन्म 6 अगस्त, 1946 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के धरवाड़ा ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. एवं एलएल.बी (प्रथम वर्ष) तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्रीमती उर्मिला सिंह आठवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं मध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्य रहीं। दसवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वित्त राज्य मंत्री रहीं तथा इसी दौरान आपको डेयरी विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा गया। इसके पश्चात् आप समाज कल्याण विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री भी रहीं। कुशल प्रशासक रहीं श्रीमती उर्मिला सिंह वर्ष 2010 से 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहीं।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली श्रीमती उर्मिला सिंह राज्य के समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं अध्यक्ष रहीं। आप केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य भी रहीं। आप हरिजन कल्याण सलाहकार समिति की सदस्य, फूलझर सेवा समिति की उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण मण्डल की सदस्य रहीं। आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रहीं।

श्रीमती उर्मिला सिंह का दिनांक 29 मई, 2018 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

डा. एम. करुणानिधि, पूर्व मुख्य मंत्री, तमिलनाडु

तमिलनाडु के पूर्व मुख्य मंत्री डा. एम. करुणानिधि का जन्म 3 जून, 1924 को तमिलनाडु के थिरुक्कुंवलई में हुआ। आपने तरुवरूर जिले के हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। आपको डाक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई।

डा. एम. करुणानिधि तेरह बार तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे। आप तमिलनाडु विधान परिषद के सदस्य भी रहे। कुशल प्रशासक रहे डा. करुणानिधि पांच बार तमिलनाडु के मुख्य मंत्री बने। आपने समाज के पिछड़ों और दलितों के उत्थान के लिये उल्लेखनीय कार्य किया। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले डा. करुणानिधि विधान सभा में दो बार प्रतिपक्ष के नेता भी रहे।

कुशल राजनीतिज्ञ रहे डा. करुणानिधि पांच दशक से अधिक समय तक द्रविड़ मुनैत्र कषगम के अध्यक्ष रहे। अपने अनुयायियों में 'कलाइनार' के नाम से विख्यात डा. करुणानिधि ने राजनीति के अतिरिक्त तमिल सिनेमा को भी नई पहचान दी। आपने युवावस्था से ही पटकथा लेखन का कार्य आरम्भ कर दिया था जिन पर अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ। लेखन में विशेष रुचि रखने वाले डा. करुणानिधि ने कविता, नाटक, उपन्यास, जीवनी इत्यादि विभिन्न विधाओं में लेखन का कार्य किया। आपकी सौ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

डा. एम. करुणानिधि का दिनांक 7 अगस्त, 2018 को निधन हो गया।

आर. के. दोरेन्द्र सिंह, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, मणिपुर

मणिपुर के पूर्व मुख्य मंत्री श्री आर. के. दोरेन्द्र सिंह का जन्म 30 सितम्बर, 1934 को मणिपुर के इम्फाल में हुआ। आपने एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री आर. के. दोरेन्द्र सिंह छह बार मणिपुर विधान सभा के सदस्य रहे। आप मणिपुर विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री सिंह तीन बार राज्य के मुख्य मंत्री रहे। आप सितम्बर, 1988 से मार्च, 1990 तक राज्य सभा के सांसद भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप इम्फाल नगरपालिका के आयुक्त रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री सिंह ने मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा

(श्री अध्यक्ष)

दिलाने हेतु किये गये सत्याग्रह आन्दोलनों में सक्रियता से भाग लिया तथा जेल यात्रा भी की। आप अनेक खेल साहित्यिक एवं सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। सामाजिक एवं राजनीति के विषयों पर आपके अनेक आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। आप 'खोंजेल' पत्रिका के सम्पादक तथा 'अनौबा समाज' दैनिक के सह सम्पादक भी रहे।

श्री आर. के. दोरेन्द्र सिंह का दिनांक 30 मार्च, 2018 को निधन हो गया।

कृष्णा कुमारी, राजमाता, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद राजमाता कृष्णा कुमारी का जन्म 10 फरवरी, 1926 को गुजरात के ध्रांगध्रा में हुआ। आपने ध्रांगध्रा पैलेस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की।

राजमाता कृष्णा कुमारी पांचवीं लोक सभा में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सांसद रहीं। लोक सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं।

महिलाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समर्पित रहीं श्रीमती कृष्णा कुमारी के निर्देशन में जोधपुर में बालिका विद्यालय तथा देसूरी में बालिका छात्रावास की स्थापना की गयी। आपने बालकों के कल्याण, सैनिक कल्याण तथा कमजोर तबके की सहायता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया।

राजमाता कृष्णा कुमारी का दिनांक 3 जुलाई, 2018 को निधन हो गया।

धर्मपाल चौधरी, श्री, सदस्य

इस विधान के सदस्य रहे श्री धर्मपाल चौधरी का जन्म 4 जुलाई, 1954 को अलवर जिले के ग्राम जाट बहरोड़ में हुआ। आपने हायर सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री धर्मपाल चौधरी ग्यारहवीं, बारहवीं तथा वर्तमान चौदहवीं विधान सभा में मुण्डावर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति, पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन समिति 'क', कार्य सलाहकार समिति तथा गृह समिति के सदस्य रहे। आप पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति तथा गृह समिति के सभापति तथा वर्ष 2007 से 2008 तक संसदीय सचिव के पद पर भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1994 से 1999 तक अलवर जिला परिषद के सदस्य रहे। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहे श्री चौधरी ने सामाजिक चेतना जागृत करने में विशेष भूमिका निभाई। आप जाट महासभा, अलवर के अध्यक्ष तथा समाज की आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य भी रहे।

श्री धर्मपाल चौधरी का दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को निधन हो गया।

टीकमचन्द कान्त, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री टीकमचन्द कान्त का जन्म 31 दिसम्बर, 1944 को जालौर जिले के तवाव ग्राम में हुआ। आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री टीकमचन्द कान्त छठी, नौवीं, दसवीं तथा बारहवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। आप छठी विधान सभा में जालौर, नौवीं विधान सभा में रेवदर तथा दसवीं एवं बारहवीं विधान सभा में सिवाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री कान्त छठी विधान सभा में जनता पार्टी, नौवीं एवं दसवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी तथा बारहवीं विधान सभा में निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'ख', जन लेखा समिति तथा सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सभापति तथा सभापति तालिका के सदस्य भी रहे।

भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री कान्त जिला जनसंघ, पालनपुर के कार्यालय मंत्री तथा जनसंघ, जालौर जिले के संगठन मंत्री रहे। आप जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी रहे।

श्री टीकमचन्द कान्त का दिनांक 14 अगस्त, 2018 को निधन हो गया।

रामकिशन वर्मा, श्री, पूर्व मंत्री

राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री रामकिशन वर्मा का जन्म 24 अगस्त, 1941 को कोटा में हुआ। आपने बी.काम, एवं एलएल.बी. (पूर्वार्द्ध) की शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामकिशन वर्मा सातवीं, आठवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं विधान सभा

(श्री अध्यक्ष)

में कांग्रेस के विधायक रहे। आप सातवीं एवं आठवीं विधान सभा के लिए लाडपुरा तथा दसवीं एवं ग्यारहवीं विधान सभा में रामगंजमण्डी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, प्राक्कलन समिति 'ख', नियम समिति एवं विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। आप वर्ष 1981 से 1988 के मध्य राजस्थान नहर, कृषि एवं पशुपालन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, आयुर्वेद, यातायात, राजकीय उपक्रम आदि विभागों के राज्य मंत्री रहे। श्री वर्मा वर्ष 1988 से 2003 के मध्य आवासन, यातायात, स्टेट मोटर गैराज, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा कृषि विपणन इत्यादि विभागों के केबिनेट मंत्री भी रहे।

छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरूआत करने वाले श्री वर्मा तीन बार राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप कोटा नगर परिषद के पार्षद तथा कोटा नगर विकास न्यास के सदस्य भी रहे। श्री वर्मा टेलीफोन परामर्शदात्री समिति, कोटा रेलवे के उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य तथा जल एवं बिजली समिति के संयोजक रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री वर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य एवं महामंत्री रहे। आप जिला कांग्रेस कमेटी, कोटा के महामंत्री तथा जिला कांग्रेस कमेटी, बारां के अध्यक्ष भी रहे।

श्री रामकिशन वर्मा का दिनांक 10 मई, 2018 को निधन हो गया।

बनवारी लाल भिण्डा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री बनवारी लाल भिण्डा का जन्म वर्ष 1939 में सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में हुआ। आपने चामड़िया कालेज, फतेहपुर से आई.काम. की शिक्षा प्राप्त की।

श्री बनवारी लाल भिण्डा दसवीं विधान सभा में फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' के सदस्य रहे।

सरल व्यक्तित्व वाले श्री भिण्डा समाज के विभिन्न वर्गों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। आप महिला महाविद्यालय एवं सीनियर सैकण्डरी स्कूल सहित फतेहपुर की अनेक शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आप फतेहपुर के श्री सरस्वती पुस्तकालय के मंत्री रहे। सामाजिक कार्यो में रुचि रखने वाले श्री भिण्डा फतेहपुर नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे। राष्ट्रीय

(श्री अध्यक्ष)

स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध रहे श्री भिण्डा ने आपातकाल के दौरान जेल यात्रा भी की।

श्री बनवारी लाल भिण्डा का दिनांक 31 जुलाई, 2018 को निधन हो गया।

प्रेमसिंह दहिया, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री प्रेमसिंह दहिया का जन्म 12 फरवरी, 1942 को अहमदाबाद में हुआ। आपने इन्टरमीडियट तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री प्रेमसिंह दहिया नौवीं राजस्थान विधान सभा में भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति, प्राक्कलन समिति 'ख' तथा ऊर्जा, ऊर्जा के वैकल्पिक साधन, श्रम एवं नियोजन विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं देने वाले श्री दहिया ने भारत-पाक युद्ध में सक्रिय भाग लिया। सेना में आपके योगदान के लिए आपको 'रक्षक पदक' से सम्मानित किया गया। आप भीनमाल नगरपालिका के पार्षद भी रहे।

श्री प्रेमसिंह दहिया का दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को निधन हो गया।

जगन सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री जगन सिंह का जन्म 2 जून, 1947 को हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जगन सिंह सातवीं विधान सभा में बयाना से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति तथा सहकारिता विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

दलित एवं मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे श्री सिंह राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल, मध्य रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति एवं राजस्थान पथ परिवहन निगम के सदस्य रहे। आप जिला समाज सुधार, भरतपुर के महामंत्री भी रहे।

श्री जगन सिंह का दिनांक 6 अप्रैल, 2018 को निधन हो गया।

छीतरलाल आर्य, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री छीतरलाल आर्य का जन्म 1 सितम्बर, 1952 को

(श्री अध्यक्ष)

अटरू तहसील के अरडाना ग्राम में हुआ। आपने उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री छीतरलाल आर्य सातवीं राजस्थान विधान सभा में अटरू निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा यातायात, आवासन, रोजगार एवं प्राविधिक शिक्षा विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

समाज सेवा में रुचि रखने श्री आर्य 17 वर्षों तक स्वयंसेवक रहे। आप आर्य समाज के विभिन्न संगठनों से भी सम्बद्ध रहे।

श्री छीतरलाल आर्य का दिनांक 17 अगस्त, 2018 को निधन हो गया।

शंकरलाल जाट, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री शंकरलाल जाट का जन्म 22 जुलाई, 1925 को चित्तौड़गढ़ जिले के जरखाना ग्राम में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री शंकरलाल जाट तीसरी, चौथी एवं पांचवीं विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप तीसरी विधान सभा में सादड़ी तथा चौथी एवं पांचवीं विधान सभा में कपासन निर्वाचन श्रेत्र से विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप बड़ी सादड़ी ग्राम पंचायत एवं तहसील पंचायत के सदस्य रहे। आप डूंगला पंचायत समिति के उप प्रधान भी रहे। आधुनिक कृषि के प्रबल समर्थक रहे श्री जाट कृषि सहकारी समिति के अध्यक्ष भी रहे।

श्री शंकरलाल जाट का दिनांक 20 जून, 2018 को निधन हो गया।

हरिसिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व उप मंत्री श्री हरिसिंह का जन्म 26 सितम्बर, 1936 को उदयपुर में हुआ। आपने एम.एससी. (कृषि) की उपाधि प्राप्त की।

श्री हरिसिंह चौथी एवं पांचवीं विधान सभा में बेगूं निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1967

(श्री अध्यक्ष)

से 1971 तक राजस्थान सरकार के कृषि, पशुपालन, भेड़ एवं ऊन तथा राजस्थान भूतल जल मण्डल विभाग के उप मंत्री रहे।

सहकार के समर्थक रहे श्री हरिसिंह केन्द्रीय सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष तथा सहकारी समिति, बेगूं के सदस्य रहे।

श्री हरिसिंह का दिनांक 4 जून, 2018 को निधन हो गया।

रामचन्द्र, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री रामचन्द्र का जन्म 29 अगस्त, 1926 को सीकर जिले के कूदन ग्राम में हुआ। आपने बी.कॉम एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामचन्द्र तीसरी एवं चौथी विधान सभा के सदस्य रहे। आप तीसरी विधान सभा के लिए श्रीमाधोपुर तथा चौथी विधान सभा के लिए खण्डेला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री रामचन्द्र तीसरी विधान सभा में निर्दलीय तथा चौथी विधान सभा में भारतीय क्रान्ति दल के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप सीकर जिला परिषद तथा सीकर जिला बोर्ड के सदस्य रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री रामचन्द्र जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री एवं अध्यक्ष भी रहे।

श्री रामचन्द्र का दिनांक 23 जून, 2018 को निधन हो गया।

सुरेन्द्र सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह का जन्म 4 नवम्बर, 1930 को काठियावाड़ जिले के लखतर ग्राम में हुआ। आपने सीनियर कैम्ब्रिज तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौथी राजस्थान विधान सभा में खारची निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप आवा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा खारची पंचायत समिति के उप प्रधान रहे।

श्री सुरेन्द्र सिंह का दिनांक 11 जून, 2018 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

लक्ष्मण प्रसाद पटेल, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल का जन्म वर्ष 1933 में सिकराय तहसील के घूमना ग्राम में हुआ। आपकी शिक्षा आपके ग्रामीण विद्यालय में हुई।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल तीसरी राजस्थान विधान सभा में सिकराय निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप घूमना ग्राम पंचायत के उप सरपंच तथा सरपंच बने। श्री पटेल सिकराय पंचायत समिति की प्रशासन एवं वित्त समिति के सदस्य भी रहे।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल का दिनांक 23 अगस्त, 2018 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

केरल एवं देश के अन्य भागों में आयी भयंकर बाढ़ के मृतक

हाल ही में केरल एवं देश के अन्य भागों में हुई भारी बारिश के बाद आयी बाढ़ में कई व्यक्तियों की मौत हो गयी तथा हजारों लोग बेघर हो गये।

मैं प्राकृतिक आपदा में मारे गये लोगों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तत्पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खडे रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 6 सितम्बर, 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.44 बजे गुरुवार, दिनांक 6 सितम्बर 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)